**फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)**

**पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन**

**(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)**

वित्तीय वर्ष 2023-24

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग

(धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष) | आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2041 00 800 03 00 2041-वाहन कर-00-800-अन्य व्यय-03- स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान** | | | | | |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 00 |
| 52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) | 81.50 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 00 |
| 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 00 |
| **योग-** | **85.50** | **16.30** | **16.30** | **16.30** | **00** |

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष) अनुदान संख्या-43 | वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय | संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2041 00 800 03 00 2041-वाहन कर-00-800-अन्य-03- स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान** | | | | | |
| 06-अन्य भत्ते | 1.00 | 17.30 | 16.30 | 16.30 | 17.30 |
| **योग -** | **1.00** | **17.30** | **16.30** | **16.30** | **17.30** |

**(1) बचत का कारण निम्नानुसार है :-**

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में विभिन्न मदों में वास्तविक व्यय के बाद सम्भावित बचत है।

**(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-**

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के लिए मद संख्या 06 अन्य भत्ते में न्यायिक अधिकारियों को भत्तों के अवशेष के भुगतान के प्रयोजन हेतु।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

**आर.ई. संख्या-बजट-1-805, दिनांक 23 .03.2024**

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

संख्या- 36/2024/762 /तीस-3-2024 दिनॉक 26 मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
9- गार्ड फाइल।

भवदीय,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।